Abstract of the Workmen's Compensation Act, 1923

[Vide Section 32 (o), read with Rule 5 (1)]

(To be fixed in a conspicuous place at or near the main entrance)

Definitions: Section 2 (1) (d)

"Dependant" means any of the following relatives of a deceased-workman, namely

(i) A widow, a minor legitimate son, and unmarried legitimate daughter, or a widowed mother ;

(ii) If wholly dependant on the earnings of the workman at the time of this death, a son or a daughter who has attained the age of 18 years and who is infirm ; and

(iii) if wholly or a part dependant on the earnings of the workman at the time of his death,

(a) a widower;

(b) a parent other than a widowed mother ;

(c) a minor illegitimate son, an unmarried illegitimate daughter or a daughter legitimate or illegitimate if married and a minor or if widowed and a minor,

(d) a minor brother or an unmarried sister or a widowed sister, if a minor,

(e) a widowed daughter-in-law,

(f) a minor child of a pre-deceased son.

(g) a minor child of a pre-deceased daughter where no parent of the child is alive, or

(h) a paternal grand-parent, if no parent of the workman is alive.

Section 2 (1) (g)

"Partial disablement" means , where the disablement is of a temporary nature, such disablement as reduces his earning capacity of a workman in any employment in which he was engaged at the time of the accident resulting in the disablement, and where the disablement is of a permanent nature, such disablement as reduces the earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at that time :

Provided that every injury specified (in Part II of Schedule I) shall be deemed to result in permanent partial disablement.

Section 2 (1)

"Total disablement" means such disablement, whether of a temporary or permanent nature, as incapacitates a workman for all work which he was capable of performing at the time of the accident resulting in such disablement

Provided that permanent total disablement shall be deemed to result from every injury specified in Part I of Schedule I or from any combination of injuries specified in Part II thereof, where the aggregate percentage of loss of earning capacity, as specified in the said Part II against these injuries, amounts to one hundred per cent or more.

Section 2 (1) (n)

(2) "Workmen covered" workman means any person (with the exception of casual labourer employed otherwise than for the employer's trade or business) who is employed on monthly wages not exceeding five hundred rupees, in any such capacity as is specified in Schedule II of the Act. In addition, a railway servant not permanently employed in any administrative department or sub-divisional office of a Railway and not employed in any capacity specified in Schedule II of the Act is also covered . Persons working in the capacity of a member of the Armed Forces are, however, excluded. The exercise and performance of the powers and duties of a local authority or of any department acting on behalf of Government shall be deemed to be their trade or business. The State Government may, after giving not less than three months' notice by notification in the official Gazette, added to Schedule II any class of persons employed in the opinion of Government in any hazardous occupation in respect of specified injuries only.

Schedule II

Schedule II specifies the following persons as workmen within the meaning of the Act

Those (excluding clerks and railway employees) employed in connection with operation or maintenance of lift or vehicle propelled by steam or other mechanical power or by electricity or in connection with loading or unloading of such vehicle; those employed in factories where manufacturing process is carried on or in any kind of work connected with it or with the articles made and steam, water or other mechanical or electrical power is used ; those employed in connection with making altering repairing, ornamenting, finishing or otherwise adapting for use, transport or sale in any premises any article or part thereof where twenty or more persons are so employed, (persons employed outside such premises or precincts but in any work incidental to, or connected with the work relating to making, altering, repairing, ornamenting, finishing or otherwise adapting for use, transport, or sale of any article or part of any article shall be deemed to be employed within such premises or precincts); those employed in the manufacture of handling of explosive in connection with employer's trade or business, those employed in a mine, or in any operation connected with it ; (other than clerks) those employed as the master or as a seaman of a ship; those employed in loading, unloading etc. of a ship within the limits of any part or in warping, mooring and unmooring ships ; or in removing or replacing dry dock caissons or in docking or undocking or in preparing splicing coir springs etc. , and painting depth marks, removing or replacing fenders, landing or gangways, maintenance of life-buoys, etc. or in jolly beats those employed in the construction, maintenance, repair or demolition of a building of more than one storey above the ground or twelve feet or more from the ground level ; or of a dam or embankment twelve feet or more in height, or of any road, bridge, tunnel or canal or a wharf, quay, sea well or other marine work ;' those employed in connection with setting up, etc. of any telegraph or telephone line or post or any overhead electric line or cable or post or standard those (excluding clerks) employed in aerial ropeway, canal, pipe line or sewer ; those employed in fire-brigade those employed by contractors fulfilling a contract with the railway administration, those employed as Inspector, Mail Guard, or Van Peon in the Railway Mail Service, or in an occupation involving outdoor work in the Indian Post and Telegraphs Departments; those employed (excluding clerks) in connection with operations for winning natural petroleum or natural gas; those employed in making of any excavation in which more than twenty-five persons have been employed or explosives have been used or whose depth exceeds twelve feet ; those employed in ferry boat capable of carrying more than ten persons ; those employed (excluding clerks) in connection with rowing of cardamom, cinchona, coffee, rubber or tea employing twenty-five or more persons, those employed (excluding clerks) in connection with growing of cardamom, cinchona, coffee gas in generating or supplying of gas, those employed in a lighthouse ; those employed in producing cinematrograph pictures ; those employed in training, keeping or working of elephants or wild animals those employed in tapping of palm trees, feeling or logging of trees or transport of timber by inland waters or control or extinguishing or forest fires ; those employed for catching of hunting of elephants or other wild animals ; those employed as drivers ; those employed in transport of goods in warehouse employing ten or more persons or in any market employing fifty or more persons, those employed in handling and manipulation of radium or X-rays apparatus or contact with radioactive substance those employed in construction, erection dismantling, operation of maintenance of an aircraft; those employed in farming by tractors or other contrivances driver by steam or other mechanical power or by electricity; those employed (excluding clerks) in tube-well those employed in connection with electric in any building and those employed in circus.

(3) Employer's liability for compensation

If a workman is injured in an accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation to the workmen. The employer shall, however, not be so liable to pay compensation in respect of injury not resulting in total or partial disablement of the workman for more than three days or in respect of injury which does not result in death and is caused by an accident occurring on account of the workman having willfully disobeyed an order expressly given, or a rule framed for safety purposes, or the workman having wilfully removed safety guards etc. provided for his safety.

Under Section 4: (4) Amount of Compensation

The amount of compensation shall be as follows

(a) In case of death, Schedule IV of the Act (Annexed to this abstract) lays down the amount in second column against the limits within which the monthly wages received by the deceased-workman fall as shown in first column.

(b) In case of permanent total disablement, Schedule IV lays down the amount in third column against wage limits shown in first column.

(c) In case of permanent partial disablement

(1) The percentage of loss of earning capacity caused by injury specified in (Part II) of Schedule I would be the percentage of compensation payable in case of permanent total disablement in column 3 of Schedule IV, and

(2) Such percentage of compensation would be payable for permanent total disablement resulting from injury not specified in Schedule I, which is proportionate to the loss of earning capacity permanently, caused by the injury. Bedsides, in case of more than one injury, the amount of compensation shall be summed up but it should not exceed the amount payable in case of permanent total disablement resulted from injury.

(d) In case of total or partial temporary disablement Schedule IV lays down in fourth column, a half-monthly payment of the sum against the wage limits shown in first column on the sixteenth day

(i) from the date of disablement if disablement lasts for twenty-eight days or more, or

(ii) after the expiry of the waiting period of three days from the date of disablement in case of disablement lasting for a period of less than twenty-eight days, and thereafter half-monthly during disablement or during five years whichever period is shorter subject to the deduction of the amount of any payment or allowance already received by the workman from the employer by way of compensation during the period of disablement price to receipt of lump sum of first half-monthly payment. Besides, no half-monthly payment shall exceed the amount, if any, by which half the amount of monthly wages of the workmen before the accident exceeds half the amount of such wages earned by him after the accident.

On the ceasing of the disablement before the date on which any half-monthly payment falls due, a sum proportionate to the duration of the disablement in that half-month shall be payable in respect of that half-month.

Under Section 4-A: (4-A). Compensation to be paid when due and penalty for default

Compensation shall, be paid as soon as it falls due. In cases, where the employer does not accept the liability for compensation to the extent claimed, he shall be bound to make the provisional payment based on the extent of liability which he accepts. Such payment shall be either paid to the workman directly or deposited with the Commissioner without prejudice to the right of the workman to make any further claim. Besides in case of default by employer in payment of compensation within one month from the date it fell due, the Commissioner may direct that besides arrears simple interest at the rate of 6 per cent per annum on the amount due together with a further sum not exceeding fifty per cent of such amount if in the opinion of the Commissioner there is no justification for the delay, shall be recovered from the employers as penalty.

Schedule III: (5). Occupational diseases for which compensation is payable.

The contracting of any disease specified in Schedule III of the Act (annexed to this abstract) by a workman

(i) employed in any employment specified in Part A of the Schedule ; or

(ii) who is service of an employer for a continuous period of not less than six months (excluding a period of service under any other employer in the same kind of employment) specified in Part B of the Schedule ; or

(iii) who is in service of one or more employers in any employment specified in Part C of the Schedule for continuous period to be specified by the Central Government in respect of such employment shall be deemed to be an injury by accident having arisen out of and in the course of employment. If any disease specified in Part C of Schedule III as occupational disease has been contracted by a workman during the continuous period specified in the foregoing paragraph in respect of that employment and the workman has during such period been employed in such employment under more than one employer, all such employers shall be liable for payment of compensation in a proportion to be prescribed by the Commissioner.

Under Section 9: (6). Compensation not to be assigned, attached or charged.

Save as provided by the Act, no lump sum or half-monthly payment payable under this Act shall be assigned, or charged, or attached, or passed to a person other than the workman and no claim be set-off against the same.

Under Section 10 (1), (7), Notice and claim

No claim for compensation shall be entertained by a Commissioner unless notice of the accident has been given, as soon as practicable after the happening thereof and unless the claim is preferred before him within two year's, of the occurrence of the accident or in case of death, with in years from the case of death.

In case, the accident is the contracting of a disease, it shall be deemed to have occurred on the first of the days during which the workman was continuously absent from work in consequence of the disablement caused by the disease.

Under Section 10, in case of partial disablement due to the contracting by the disease of any such disease as does not force the workman to absent himself from work, the period of two years shall be counted from day the workman gives notice of the disablement to his employer.

If a workman who having been employed in an employment for a continuous period specified under sub-section (2) of Section 3 in respect of that employment, ceases to be so employed and develop symptoms of an occupational disease peculiar to that employment within two years of the cessation of employment, the accident shall be deemed to have occurred on the day on which the symptoms were first detected.

The want or any defect or irregularity in notice, shall not be a bar to the entertain of a claim if it is preferred in respect of the death of a workman resulting from an accident which occurred on the premises of the employer, or at any place where the workman at the time of the accident was working under the control of the employer, or of any person employed by him, and the workman died on such premises, or on any premises belonging to the employer, or died without having left the vicinity of the premises, where the accident occurred or if the employer, or any one of several employers or any person responsible to the employer for the management of any branch of the trade or business workman was employed had knowledge of the accident from any other source at or about the time when it occurred.

Beside the Commissioner may also entertain and decide any compensation if he is satisfied that failure to give the notice or refer the claim in due time was due to sufficient cause. Every such notice shall give the name and address of the person injured, the cause of the injury and the date on which the accident happened and shall be served on the employer or upon any one of the several employers, or upon any person responsible to the employer for the management of any branch of the trade of business in which the injured workman was employed.

The State Government may require that any prescribed class of employers shall maintain at their premises at which workmen are employed, a notice-book, in the prescribed form, which shall be readily accessible at all reasonable times to any injured workman employed on the premises and to any person acting bona fide on his behalf.

Such a notice may be served by delivering it at or sending it by registered post addressed to the residence or any office or place of business of the person on whom it is to be served, or, where a notice hook is maintained, by entry in the notice-book.

Under Section 10-A: Power to require for employer's statement regarding fatal accidents

Where a Commissioner receives information from any source that a workman has died as a result of an accident arising out of and in the course of his employment, he may sent by registered post a notice to the employer requiring him to submit, within thirty days of the service of the notice, a statement, in the prescribed form, giving the circumstances attending the death of the workman, and indicating whether, in the opinion of the employer he is or is not liable to deposit compensation on account of the death. If the employer is of opinion that he is liable to deposit compensation, he shall made the deposit within thirty days of the service of the notice. If the employer is of opinion that he is not liable to deposit compensation, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability. Where the employer has so disclaimed liability the Commissioner, after such inquiry as he may think fit, may inform any of the dependants of the deceased- workman that it is open to the dependants to prefer a claim for compensation, and may give them such other further information as he may think fit.

Under Section 10-B, Reports of Fatal Accidents

Where, by any law for the time being in force, notice is required to be given to any authority, by or on behalf of an employer, of any accident occurring on his premises which results in death or serious bodily injury, the person required to give the notice shall, within seven days of the death or serious bodily injury send a report to the Commissioner giving the circumstances attending the death of serious bodily injury or to the authority prescribed by the State Government for giving notice. The State Government may, by notification in the official Gazette, extend the above provisions to any class of premises other than those coming within the scope of the above provisions, and may, by such notification, specify the persons who shall send the report to the Commissioner.

None of the above provisions shall apply to factories to which the Employers' State Insurance Act, 1948 applies.

Under Sections 12: (8) Contracting

Where the principal, in the course of or for the purposes of his trade or business contracts with any other person, namely, the contractor for the execution of the whole or any part of any work connected with trade or business of the principal, the principal shall be liable to pay to any workman so employed, any compensation payable to that workman if he had been immediately employed by him, and where compensation is claimed from the Principal, this Act shall apply as if references to the Principal were substituted for references to the employer except that the amount of compensation shall be calculated with references to the wages of the workman under the employer by whom he is immediately employed.

Where the principal is so liable to pay compensation he shall be entitled to be indemnified by the contractor or any other person from whom the workman could have recovered compensation and where a contractor who is himself a Principal is liable to pay compensation or to indemnify a Principal he shall be entitled to be indemnified by any person standing to him in the relation of a contractor from whom the workmen could have recovered compensation and all questions as to the rights to and the amount of any such indemnity shall, in default of agreement, be settled by the Commissioner.

Besides, the workman can also receive compensation from the contractor instead of the Principal.

The above provisions under the he "Contracting" shall not apply in any case where the accident occurred elsewhere than on, in or about the premises on which the principal has undertaken or usually undertakes to execute the work or which are otherwise under his control or management.

Under Section 17: (9) Contracting out

Any contract or agreement whether made before or after the commencement of this Act, whereby a workman relinquishes any right of compensation from the employer for personal injury arising out of or in the course of the employment shall be null and void in so far as it purports to remove or reduce the liability of any person to pay compensation under this Act.

Under Section 24: (10) Appearance of Parties

Any appearance, application or act required to be made or done by any person before or to a Commissioner (other than an appearance of a party which is required for the purpose of his examination as witness may be made or done on behalf of such person by a legal practitioner or by an official of an Insurance Company or a Registered Trade Union or by an Inspector appointed under sub-section (1) of Section 8 of the Factories Act, 1948 or under sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952, or by any other officer specified by the State Government in this behalf, authorised in writing by such person, or with the permission of the Commissioner by any other person so authorised.

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का सार

[धार 32 (o) के अनुसार, नियम 5 (1) के साथ पढ़ें]

(प्रमुख स्थान या मुख्य प्रवेश द्वार के निकट लगाया जाना है)

(1) **परिभाषाएं: धारा 2 (1) (डी)**

"आश्रित" का अर्थ है मृतक- मजदूर के निम्नलिखित रिश्तेदारों में से कोई भी व्यक्ति, अर्थात

(i) एक विधवा, एक नाबालिग वैध पुत्र, और अविवाहित वैध पुत्री, या एक विधवा मां;

(ii) यदि मृत्यु के समय मजदूर की कमाई पर पूरी तरह से निर्भर है, एक पुत्र या एक पुत्री जो 18 वर्ष का हो चुका/ चुकी है और जो अक्षम/कमजोर है; और

(iii) यदि मजदूर की मृत्यु के समय यदि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसकी आमदनी पर निर्भर है,

(a) एक विधवा;

(b) एक विधवा मां के अलाव अभिभावक/ जनक;

(c) एक नाबालिग अवैध पुत्र, एक अविवाहित अवैध पुत्री या यदि विवाहित हो तो एक वैध या अवैध पुत्री और एक नाबालिग या यदि विधवा और एक नाबालिग,

(d) एक नाबालिग भाई या एक अविवाहित बहन या एक विधवा बहन, यदि नाबालिग हो,

(e) विधवा बहू,

(f) पूर्व-मृतक पुत्र का नाबालिग बच्चा।

(g) पूर्व- मृतक पुत्री का एक नाबालिग बच्चा जहां बच्चे के माता- पिता में से कोई भी जीवित न हो, और

(h) अगर मजदूर के माता- पिता में से कोई जीवित नहीं हो तो पिता पक्ष के माता- पिता (दादा- दादी)।

धारा 2 (1) (g)

"आंशिक विकलांगता" का अर्थ है, ऐसी विकलांगता जो अस्थायी प्रकृति की हो, किसी भी रोजगार में जिसमें मजदूर दुर्घटना के समय काम कर रहा था और जिसकी वजह से अक्षमता पैदा हुई, के कारण, उसकी अर्जक क्षमता कम हो जाती है और जहां अक्षमता स्थायी प्रकृति की हो, ऐसी अक्षमता प्रत्येक रोजगार जिसे मजदूर उस समय करने में सक्षम था, उसकी अर्जक क्षमता को कम कर देता है:

बशर्ते, हर निर्दिष्ट चोट (अनुसूची । के भाग ।। में) को स्थायी आंशिक विकलांगता की वजह माना जाएगा।

धारा 2 (1)

"संपूर्ण अक्षमता" का अर्थ है ऐसी अक्षमता, चाहे वह अस्थायी या स्थायी प्रकृति का हो, जो एक मजदूर को दुर्घटना के समय, जिसकी वजह से यह अक्षमता होती है, उसके द्वारा किए जा सकने वाले सभी कार्यों को करने के लिए अक्षम बना देता है।

बशर्ते स्थायी कुल विकलांगता अनुसूची । के भाग । में निर्दिष्ट प्रत्येक चोट या भाग ।। में निर्दिष्ट चोट कि किसी भी संयोजन का परिणाम समझा जाएगा, जहां अर्जक क्षमता की हानि का कुल प्रतिशत, जैसा इन चोटों के लिए भाग ।। में कथित तौर पर निर्दिष्ट है, एक सौ प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर हो।

धारा 2 (1) (एन- n)

(2) "कवर किए गए मजदूर" मजदूर का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति (नियोक्ता के व्यापार या कारोबार के लिए अन्याथा काम पर रखे गए आकस्मिक मजदूरों को छोड़ कर) जिसे, अधिनियम की अनुसूची ।। में निर्दिष्ट किसी भी काम के लिए मासिक वेतन पर, जो कि पांच सौ रुपयों से अधिक का न हो, रखा गया हो। इसके अलावा, एक रेलवे का मुलाजिम जिसे रेलवे के किसी भी प्रशासनिक विभाग या उप- मंडलीय कार्यालय में स्थायी रूप से नहीं रखा गया हो और जिसे अधिनियम की अनुसूची ।। में निर्दिष्ट किसी भी काम के लिए नहीं रखा गया हो, को भी कवर किया जाता है। हालांकि, सशस्त्र बलों के कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया है। सरकार की तरफ से एक स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी विभाग द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को करने को उनका व्यापार या कारोबार समझा जाएगा। राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नोटिस देने, जो कि तीन महीने से कम का न हो, के बाद सिर्फ निर्दिष्ट चोटों के संदर्भ में सरकार की राय में किसी भी खतरनाक पेशे से जुड़े किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को अनुसूची ।। में शामिल कर सकती है।

अनुसूची ।।

अनुसूची ।। अधिनियम के अर्थ के दायरे में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करता है।

वैसे व्यक्ति (लिपिकों और रेलवे के कर्मचारियों को छोड़कर) जो लिफ्ट या भाप द्वारा या किसी अन्य यांत्रिक शक्ति या बिजली चलने वाले वाहनों के संचालन या रखरखाव से जुड़े हैं या ऐसे वाहनों में सम्मान चढ़ाने या उतारने का काम करते हैं; उन कारखानों में काम करते हैं जहां निर्माण प्रक्रिया चलती है या इससे जुड़ी किसी भी प्रकार के काम या बनाई गई वस्तुओं से जुड़े हैं और भाप, पानी या अन्य यांत्रिक या विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है; जो निर्माण, संशोधन, मरम्मत, आभूषण निर्माण, परिष्करण या अन्य कार्य के लिए किसी भी परिसर में किसी भी वस्तु के उपयोग, परिवहन या बिक्री के काम में लगे हैं, जहां बीस या उससे अधिक व्यक्ति काम पर रखे गए है (ऐसे परिसरों या परिसीमा के बाहर काम पर रखे गए व्यक्ति लेकिन किसी वस्तु या वस्तु के हिस्से के उपयोग, परिवहन या बिक्री के लिए निर्माण, संशोधन, मरम्मत, आभूषण निर्माण, परिष्करण या अन्यथा अनुकूलन से संबंधित किसी भी काम में, आनुषंगिक या काम से जुड़े हों, को ऐसे परिसरों या परिसीमा में नियुक्त कर्मचारी माना जाएगा); नियोक्ता के व्यापार या कारोबार के संबंध में विस्फोटक के रख-रखाव के निर्माण में कार्यरत कर्मचारी, खदान में नियुक्त कर्मचारी या उससे संबंधित कोई भी काम करने वाले कर्मचारी; (लिपिकों के अलावा) मास्टर या जहाज में नाविक के तौर पर काम करने वाले; किसी भी हिस्से की सीमा के भीतर जहाज पर सामान लादने, उतारने आदि के काम पर लगे लोग या जहाज का लंगर डालने, तट पर लगाने और लंगर हटाने का काम करने वाले; या बंदरगाह के सूखे केसून को हटाने या बदलने या बंदरगाह पर लाने या हटाने या रस्से को जोड़ने का काम करना आदि, और गहराई चिन्ह को रंगने, छाज को हटाने या बदलने, लैंडिंग या गैंगवेज, जीवनरक्षक पेटी का रखरखाव आदि या जॉली बीट्स में; निर्माण, रख-रखाव, मरम्मत या जमीन से उपर बने एक से अधिक मंजिल वाली इमारत या बारह फीट या जमीन स्तर से अधिक को गिराने के काम में या बारह फीट या उससे आधिक उंचे वाले बांध या तटबंध या किसी सड़क, पुल, सुरंग या नहर या घाट, बांध, समुद्री कुंआ या अन्य समुद्री काम में लगाए गए कर्मचारी;' किसी टेलिग्राफ या टेलिफोन लाइन या खंभे या किसी अन्य उपरी विद्युत लाइन या केबल या खंभे या मानक को स्थापित करने के संबंध में काम पर रखे गए कर्मचारी, हवाई रोपवे, नहर, पाइप लाइन या सीवर के काम पर रखे गए कर्मचारी (लिपिकों को छोड़कर); अग्नि-शामक में नियुक्त कर्मचारी, रेलवे प्रशासन के साथ अनुबंध पूरा करने वाले ठेकेदारों द्वारा काम कर रहे गए कर्मचारी, रेलवे डाक सेवा में निरीक्षक, मेल गार्ड या वैन पियोन के तौर पर नियुक्त कर्मचारी या भारतीय डाक और टेलिग्राफ विभागों में कार्यालय से बाहर के काम में लगे कर्मचारी; प्राकृतिक पेट्रोलियम या प्राकृति गैस का पता लगाने के कार्य के संबंध में नियुक्त कर्मचारी (लिपिकों को छोड़कर); किसी भी ऐसे खुदाई कार्य जिसमें पच्चीस से अधिक व्यक्ति काम पर रखे गए हों या जिसमें विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा हो या जिसकी गहराई बारह फीट से अधिक है, में नियुक्त कर्मचारी; दस से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले नाव पर नियुक्त कर्मचारी; इलायची, सिंकोना, कॉफी, रबड़ या चाय से संबंधित काम (लिपिकों को छोड़कर) में नियुक्त (लिपिकों को छोड़कर) पच्चीस या उससे अधिक व्यक्तियों की क्षमता, इलायची, सिंकोना, कॉफी गैस के उत्पादन या गैस की आपूर्ति के संबंध में नियुक्त (लिपिकों को छोड़कर) कर्मचारी, आकाशदीप (लाइटहाउस) में नियुक्त कर्मचारी; सिनेमैटोग्राफ चित्रों को बनाने के काम में नियुक्त कर्मचारी; हाथियों या वन्य पशुओं के प्रशिक्षण, उन पर काम करने के लिए नियुक्त कर्मचारी; खजूर के पेड़ से रस निकालने, पेड़ों को काटने या अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा लकड़ी के परिवहन या नियंत्रण या जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए नियुक्त कर्मचारी; हाथियों या अन्य जंगली जानवरों के शिकारियों को पकड़ने के लिए नियुक्त कर्मचारी; चालक के तौर पर नियुक्त कर्मचारी; दस या अधिक व्यक्तियों वाले माल गोदाम में वस्तुओं के परिवहन कार्य में नियुक्त कर्मचारी या पचास या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखने वाले किसी भी बाजार में, रेडियम या एक्स-रे उपकरण के रख-रखाव और संचालन या रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ काम करने के लिए नियुक्त कर्मचारी, विमान के निर्माण, निर्माण विखंडन, रख- रखाव कार्य में नियुक्त कर्मचारी; ट्रैक्टरों या भाप द्वारा या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा या विद्युत द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण से खेती करने के लिए नियुक्त कर्मचारी; ट्यूबवेल में नियुक्त कर्मचारी (लिपिकों को छोड़कर); किसी भी भवन में बिजली संबंधी कार्यों को करने के लिए नियुक्त कर्मचारी और सर्कस में काम करने वाले लोग।

(3) क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता की देयता

यदि एक मजदूर अपने काम के दौरान होनी वाली दुर्घटना में या दुर्घटना के बाद घायल हो जाता है तो, उसका नियोक्ता मजदूर को मुआवजे का भुगतान करने का उतरदायी होगा। हालांकि नियोक्ता, तीन से अधिक के लिए मजदूर के कुल

या आंशिक विकलांगता की वजह नहीं बनने वाली चोट के संदर्भ में या ऐसी चोट जिसकी वजह से मौत न हुई हो और चोट उस दुर्घटना में लगी हो जिसमें मजदूर ने जानबूझ कर दिए गए निर्देशों या सुरक्षा उद्देश्यों से बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया हो या मजदूर की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपकरणों आदि को मजदूर ने जानबूझ कर हटा दिया हो आदि, के संदर्भ में नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने का उत्तदायी नहीं होगा।

धारा 4: (4) के तहत मुआवजे की धनराशि

मुआवजे की धनराशि इस प्रकार होगी

(a) मृत्यु के मामले में, अधिनियम की अनुसूची IV (इस सार से संबद्ध) जैसा कि पहले कॉलम में दिखाया गया है मृतक मजदूर द्वारा जिन सीमाओं में मासिक मजदूरी प्राप्त किया जा रहा था, के खिलाफ धनराशि को दूसरे कॉलम में दिखाता है।

(b) स्थायी कुल विकलांगता के मामले में अनुसूची IV पहले कॉलम में दिखाए गए मजदूरी सीमाओं के विपरीत धनराशि को तीसरे कॉलम में दिखाता है।

(c) स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में

(1) अनुसूची I के (भाग II) में निर्धारित चोट की वजह से कमाई क्षमता में होने वाली हानि का प्रतिशत, अनुसूची IV के कॉलम 3 में स्थायी कुल विकलांगता के मामले में देय मुआवजे का प्रतिशत होगा और

(2) अनुसूची I में जिन चोट को निर्दिष्ट नहीं किया गया है उसकी वजह से होने वाले कुल स्थायी विकलांगता के लिए मुआवजे का यह प्रतिशत देय होगा, जो चोट की वजह से स्थायी रूप से अर्जन क्षमता में हुई हानि के अनुपात में है। इसके अलावा, एक से अधिक चोट के मामले में, मुआवजे की धनराशि जोड़ दी जाएगी लेकिन यह धनराशि चोट की वजह से होने वाली स्थायी कुल विकलांगता के मामले में देय धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(d) कुल या आंशिक अस्थायी विकलांगता के मामले में अनुसूची IV के चौथे कॉलम में नीचे दिया गया है, पहले कॉलम में सोलहवें दिन दी गई वेतन सीमाओं के मुकाबले आधे वेतन का भुगतान किया जाता है।

(i) यदि विकलांगता अट्ठाईस दिन या अधिक तक रहती है तो विकलांगता की तारीख से, या

(ii) अट्ठाईस दिन से कम की अवधि तक रहने वाली विकलांगता के मामले में विकलांगता की तारीख से तीन दिन की प्रतीक्षा अवधि के खत्म होने के बाद और उसके बाद विकलांगता के दौरान अर्ध- मासिक या पांच वर्ष के दौरान, जो अवधि कम हो, पहले अर्ध- मासिक वेतन के भुगतान की एकमुश्त धनराशि नियोक्ता से मजदूर द्वारा पहले ही प्राप्त किए जा चुके किसी भुगतान या भत्ते की कटौती के विषयाधीन होगी। इसके अलावा, कोई भी अर्ध- मासिक भुगतान धनराशि से अधिक नहीं होगा, यदि कोई होगा, जिसके द्वारा दुर्घटना से पहले मजदूरों की मासिक मजदूरी की आधि धनराशि दुर्घटना के बाद उनके द्वारा अर्जित इस प्रकार की मजदूरी से अधिक है।

अर्ध- मासिक भुगतान किए जाने की तारीख से पहले विकलांगता के समाप्त होने पर उस आधे- महीने में विकलांगता की अवधि के अनुपात में उस आधे- महीने के संबंध में देय होगा।

धारा 4-ए: (4-ए) के तहत, मुआवजा भुगतान की तारीख पर दिया जाएगा और चूक करने पर जुर्माना

मुआवजे के भुगतान की तारीख आते ही उसका भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता दावा किए गए मुआवजे की देयता स्वीकार नहीं करता, तो वह स्वयं की स्वीकार्य सीमा तक देयता का अनंतिम भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार का भुगतान या तो सीधे मजदूर को किया जाएगा या मजदूर के मुआवजा के दावा के अधिकार को हानि पहुंचाए आयुक्त (कमिश्नर) के पास जमा कराया जाएगा। इसके अलावा देय तारीख से एक महीने के भीतर नियोक्ता द्वारा मुआवजे के भुगतान न किए जाने के मामले में, अगर आयुक्त की राय में देरी का कोई औचित्य नहीं है तो वह बकाया धनराशि के अलावा देय धनराशि पर 6 प्रतिशत सालाना के सरल ब्याज दर से देय राशि और धनराशि जो ऐसी धनराशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो, को जुर्माने के तौर पर वसूल करने का निर्देश दे सकता है।

अनुसूची III: (5) व्यावसायिक रोग जिसके लिए

क्षतिपूर्ति देय है

किसी मजदूर द्वारा अधिनियम की अनुसूची III (इस सार से संबद्ध) में निर्दिष्ट किसी बीमारी का अनुबंध

(i) अनुसूची के भाग ए में निर्दिष्ट रोजगार में नियोजित; या

(ii) अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट जो एक नियोक्ता के लिए काम कर रहा था, और उसके काम करने की अवधि लगातार छह महीने से कम की नहीं हो (इसमें एक ही प्रकार के रोजगार में किसी अन्य नियोक्ता के तहत की जाने वाली नौकरी शामिल नहीं है); या

(iii) जो ऐसे रोजगार के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुसूची के भाग सी में निर्दिष्ट किसी भी रोजगार में एक या अधिक नियोक्ताओं के लिए काम कर रहा हो, रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना से लगी चोट माना जाएगा। यदि अनुसूची III में व्यावसायिक बीमारी के रूप में निर्दिष्ट किसी भी बीमारी से, पूर्वगामी परिच्छेद में उस रोजगार के संदर्भ में निर्धारित लगातार अवधि के दौरान, मजदूर ग्रसित होता है और वह मजदूर उस अवधि के दौरान एक या एक से अधिक नियोक्ता के अधीन ऐसे रोजगार में नियोजित किया जाता है, तो ऐसे सभी नियोक्ता आयुक्त द्वार निर्धारित अनुपात में मुआवजे का भुगतान करने के उत्तरदायी होंगे।

धारा 9: (6) के तहत मुआवाजा सौंपा, संलग्न या प्रभारित

नहीं किया जाएगा

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के तहत देय कोई भी एकमुश्त या अर्ध- मासिक भुगतान को मजदूर के अलावा किसी भी व्यक्ति को सौंपा या प्रभारित या संलग्न या दिया नहीं जाएगा और इसके खिलाफ कोई दावा भी नहीं किया जा सकता है।

धारा 10 (1), (7), के तहत नोटिस और दावा

जब तक कि दुर्घटना के होने के तत्काल बाद उसकी सूचना आयुक्त को नहीं दी जाए और दुर्घटना होने के दो वर्षों के भीतर या मृत्यु के मामले में मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर मुआवजे का दावा नहीं किया गया जाए तब तक आयुक्त द्वारा मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि दुर्घटना एक बीमारी की वजह से हुई हो, ऐसे मामले में बीमारी की वजह से हुई विकलांगता के कारण मजदूर द्वारा काम से लगातार अनुपस्थित रहने के दिनों में पहले दिन पर बीमारी का होना माना जाएगा।

धारा 10 के तहत, ऐसे किसी भी बीमारी के संपर्क में आने से जिसने मजदूर को काम पर न जाने के लिए मजबूर न किया हो, की वजह से होने वाली आंशिक विकलांगता के मामले में, दो वर्ष की अवधि उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन मजदूर अपने नियोक्ता को अपनी विकलांगता के बारे में नोटिस देगा।

यदि एक मजदूर को जिसे उस रोजगार के संबंध में धारा 3 की उप- धारा (2) के तहत निर्दिष्ट निरंतर अवधि के लिए काम पर रखा गया हो, उस काम को करने से रोक दिया जाता है और उसका रोजगार समाप्त किए जाने के दो वर्षों के भीतर उसी काम की वजह से उसमें व्यावसायिक बीमारी के लक्षण विकसित हो जाते हैं, तो दुर्घटना उस दिन मानी जाएगी जिस दिन सबसे पहले उसमें लक्षण का पता चला था।

यदि किसी दुर्घटना की वजह से नियोक्ता के परिसर में या नियोक्ता के नियंत्रण वाली ऐसी कोई भी जगह काम करने के दौरान होने वाली दुर्घटना या नियोक्ता द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के अधीन काम करने के दौरान मजदूर की मौत होने पर, और मजदूर की ऐसे परिसरों में या नियोक्ता से संबंधित किसी परिसर में मौत हो जाती है, जहां दुर्घटना हुई हो या नियोक्ता या एक से अधिक नियोक्ताओं में से कोई भी एक या व्यापार एवं कारोबार की किसी शाखा के प्रबंधन के लिए नियोक्ता के प्रति जवाबदेह कोई व्यक्ति नियुक्त था, को दुर्घटना कब और कहां हुई, के बारे में किसी अन्य स्रोत से जानकारी मिली हो तो इस संदर्भ में दावा पर विचार करने के लिए इच्छा या नोटिस में कोई कमी या अनियमितता बाधा नहीं होगी।

इसके अलावा आयुक्त यदि इस बात से संतुष्ट हों कि नोटिस देने या समय के भीतर दावा करने में विफलता के पीछे पर्याप्त कारण थे तो वह किसी भी प्रकार के मुआवजे पर विचार कर सकते हैं और उसे देने का फैसला कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक नोटिस में घायल व्यक्ति का नाम और पता, चोट लगने की वजह और जिस तारीख पर दुर्घटना हुई, वह दिया जाएगा और इसके लिए नियोक्ता या कई नियोक्ताओं में से किसी एक या घायल मजदूर जिस काम पर रखा गया था उसके व्यापार की किसी भी शाखा के प्रबंधन के लिए नियोक्ता द्वारा रखे गए जिम्मेदार किसी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार को नियोक्ताओं के किसी भी निर्धारित वर्ग द्वारा उनके परिसरों में जहां उन्होंने मजदूर नियुक्त किए हुए हैं, वहां, निर्धारित प्रारूप में, एक नोटिस- बुक रखे जाने की आवश्यकता हो सकती है जिसे परिसर में घायल होने वाले किसी भी मजदूर के लिए

या घायल मजदूर की तरह से प्रमाणिक रूप से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय आसानी से सुलभ कराया जाएगा।

इस प्रकार के नोटिस को पंजीकृत डाक द्वारा जिस व्यक्ति के नाम से नोटिस तैयार किया गया है उसके आवास या किसी कार्यालय या व्यापार के स्थान पर पहुंचाया या भेजा जा सकता है या जहां नोटिस- बुक है वहां नोटिस- बुक में प्रविष्टि कर नोटिस दिया जा सकता है।

धारा 10-A के तहत: घातक दुर्घटनाओं के संबंध में नियोक्ता का कथन

प्राप्त करने का अधिकार

जहां एक आयुक्त को किसी भी स्रोत से यह जानकारी मिलती है कि उसके रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना की वजह से या दुर्घटना के बाद मजदूर की मौत हो गई है, वह नियोक्ता को पंजीकृत डाक द्वारा एक नोटिस भेज सकते हैं जिसमें नोटिस दिए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक कथन प्रस्तुत करने की बात कही गई हो और मजदूर की मृत्यु की परिस्थितियों को बताने को कहा गया हो। साथ ही यह भी बताने को कहा गया हो कि नियोक्ता के विचार से क्या वह मृत्यु के एवज में मुआवजा/ क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी है या नहीं। यदि नियोक्ता के विचार से वह मुआवजा जमा करने का उत्तरदायी है तो, वह नोटिस दिए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर धनराशि जमा कराएगा। यदि नियोक्ता के विचार से वह मुआवजा जमा करने का उत्तरदायी नहीं है तो, उसे अपने कथन में उत्तरदायित्व को अस्वीकार करने की वजह बतानी होगी। जहां नियोक्ता अपने उत्तरदायित्व को अस्वीकार करता हो, वहां आयुक्त, पूछताछ के बाद, जो उन्हें उचित लगे, मृतक मजदूर के आश्रितों को सूचित कर सकते हैं कि वे मुआवजे/ क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं और जैसा वह उचित समझें ऐसी अन्य जनकारी भी उन्हें प्रदान कर सकते हैं।

. धारा 10-B के तहत, घातक दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

जहां, वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा, किसी भी अधिकारी को, नियोक्ता द्वारा या उसकी तरफ से उसके परिसरों में हुई किसी भी दुर्घटना के बारे में जिसकी वजह से मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट लगी हो, नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को यह नोटिस मौत होने या गंभीर शारीरिक चोट लगने के सात दिनों के भीतर, गंभीर शारीरिक चोट की वजह से हुई मौत की परिस्थितयों को बताते हुए आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा ऐसे नोटिस दिए जाने के लिए निर्धारित अधिकारी को भेजनी होगी। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के दायरे के भीतर आने वाले लोगों के अलावा किसी भी परिसर के किसी भी वर्ग के लिए उपरोक्त प्रावधानों में विस्तार कर सकती है और ऐसी अधिसूचना द्वारा आयुक्त को रिपोर्ट भेजने वाले व्यक्तियों का भी निर्धारण कर सकती है।

उपरोक्त प्रावधानों में एक भी प्रावधान उन कारखानों पर लागू नहीं होंगे जिनमें नियोक्ता राज्य बीमा अधिनियम, 1948 लागू हैं।

धारा 12: (8) के तहत अनुबं

जहां मालिक, किसी अन्य व्यक्ति अर्थात ठेकेदार, के साथ अपने व्यापार या कारोबारी अनुबंधों के लिए या उसके उद्देश्य के लिए, अपने व्यापार या कारोबार से संबंधित किसी काम के पूरे या किसी हिस्से के निष्पादन के लिए, नियुक्त किसी मजदूर को भुगतान करने के लिए मालिक उत्तरदायी होगा, यदि मजदूर को मालिक द्वारा काम पर रखा गया है तो उसे दी जाने वाली किसी भी मुआवजे का भुगतान मालिक करेगा और जहां मालिक से मुआवजे की मांग की जाए, वहां यह अधिनियम लागू होगा जैसा कि मालिक के संदर्भ नियोक्ता के संदर्भ के लिए प्रतिस्थापित किए गए थे सिवाए इसके कि मुआवजे की धनराशि की गणना नियोक्ता, जिसने मजदूर को काम पर रखा था, के अधीन, उसकी मजदूरी के संदर्भ में की जाएगी।

जहां मालिक मुआवजे का भुगतान करने का उत्तरदायी है, वहां वह ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति जिससे मजदूर मुआवजा प्राप्त कर सकते है, द्वारा मुआवजा दिए जाने का हकदार होगा और जहां ठेकेदार खुद मालिक है और मुआवजा देने का उत्तरदायी है या मालिक को मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, वह ठेकेदार के संबंध में अपने साथ खड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा जिनसे मजदूर मुआवजा प्राप्त कर सकते थे और अनुबंध के अभाव में ऐसे किसी भी मुआवजे के अधिकारों का निपटारा आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

इसके अलावा, मजदूर मालिक की बजाए ठेकेदार से भी मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त प्रावधानों के तहत "अनुबंध" ऐसे किसी भी मामले में लागू नहीं होगा जहां दुर्घटना उन परिसरों के बाहर में हुई हो जिस पर मालिक का अधिकार हो या जिनका प्रयोग वह काम करने के लिए करता हो या जो वे उसके नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन हों।

धारा17: (9) अनुबंध करना

इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किए गए किसी भी अनुबंध या समझौते, जिसमें एक मजदूर रोजगार के दौरान लगने वाली निजी चोट के लिए नियोक्ता से मुआवजे का अधिकार छोड़ देता है, निर्थक हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ है इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति की मुआवजे के भुगतान के प्रति उत्तरदायित्व को हटाना या कम करना।

धारा 24: (10) के तहत पक्षों की उपस्थिति

एक आयुक्त के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी उपस्थिति, आवेदन या कार्य किए जाने की आवश्यकता (एक पक्ष की उपस्थिति के अलावा जो कि एक गवाह के तौर पर उसकी जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति की तरफ से एक वकील या बीमा कंपनी के एक अधिकारी या एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन या फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप धारा (1) या खान अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त निरीक्षक द्वारा या इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित में अधिकृत, या आयुक्त की अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकृत।